सरस्वती देवी गुप्ता

बनाम

सुधा रानी और अन्य

14 दिसंबर, 2005

[बी.पी. सिंह और अल्टमास कबीर, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 21 नियम 16-डिक्री के हस्तांतरणकर्ता द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री-धारक ने हस्तांतरणकर्ता को समनुदेशन द्वारा डिक्री हस्तांतरित की-सर्वोच्च न्यायालय ने समनुदेशन को बरकरार रखा-जब डिक्री को निष्पादन में रखा गया था, तो निर्णय-देनदार ने आपत्ति जताई कि हस्तांतरणकर्ता को डिक्री को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था-उक्त आपत्ति को निष्पादन न्यायालय के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था-लेकिन उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को इस सवाल पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में कोई वास्तविक और वैध समनुदेशन

था। एक समनुदेशक के रूप में अंतरिती के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश देने में गलती की कि वही प्रश्न, जिसे अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, निष्पादन न्यायालय द्वारा एक बार फिर से देखा जाएगा-यह निष्पादन न्यायालय को उस डिक्री के पीछे जाने का निर्देश देने के बराबर है जो अंतिम रूप से प्राप्त कर चुकी थी-उच्च न्यायालय का फैसला दरकिनार कर दिया गया।

एक 'आर' ने विचाराधीन घर को बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया लेकिन अपीलीय अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया। 'आर' की मृत्यु पर अपीलार्थी को रिकॉर्ड पर लाया गया क्योंकि उसने दावा किया कि स्वर्गीय 'आर' ने उसके पक्ष में डिक्री में अपना हित सौंपा था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया।

अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया। उस स्तर पर इस न्यायालय के समक्ष एक तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी, जो डिक्री

धारक से हस्तांतरणकर्ता था, के पास अपील को प्राथमिकता देने का कोई अधिकार नहीं था। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त तर्क को उठाने की स्वतंत्रता दिए जाने के बावजूद उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह का तर्क नहीं उठाया गया था।

इसके बाद डिक्री को निष्पादित किया गया और प्रतिवादी ने दायर किया। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1980 के आदेश 21 नियम 16 के तहत आपत्ति कि हस्तांतरणकर्ता को डिक्री को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था। निष्पादन न्यायालय के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय ने आपत्ति को खारिज कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या अपीलार्थी के पक्ष में कोई वास्तविक और वैध कार्य था। इसलिए याचिका दायर की गई है।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

1. उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को इस प्रश्न की जांच करने का निर्देश देते हुए कि क्या अपीलार्थी के पक्ष में कोई वैध कार्य था, अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि की, क्योंकि इस

न्यायालय के निर्णय में दर्ज निष्कर्ष पर ध्यान देने में विफल रहा, जिसने निर्णायक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में सुने जाने के अधिकार के प्रश्न का निर्णय किया। एक समनुदेशिती के रूप में अपीलार्थी के अधिकार को बरकरार रखने वाले इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद किसी भी न्यायालय द्वारा समनुदेशिती के रूप में उसके अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश देने में गलती की थी कि वही प्रश्न, जिसे अंततः इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, निष्पादन न्यायालय द्वारा एक बार फिर से देखा जाएगा। यह निष्पादन न्यायालय को उस डिक्री के पीछे जाने का निर्देश देने के बराबर था जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली थी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील सं. 6708/2001

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.7.99 से 1996 के सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 8532 में आर.पी. संख्या 64773/96 में।

अपीलार्थी की ओर से आर.सी.वर्मा, सुश्री ज्योति सक्सेना, बी.बी. सिन्हा और एम.पी. शोरावाला।

उत्तरदाताओं के लिए सर्वेश बिसारिया और अनिल नाग (एन.पी.)। न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

बी.पी. सिंह, जे. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 1996 की समीक्षा याचिका 22.7.1999 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका को संक्षेप में खारिज कर दिया है। 30 अगस्त, 1996 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करने और यह तय करने का निर्देश दिया था कि क्या डिक्री का एक वैध समनुदेशन अपीलार्थी/समनुदेशिती के पक्ष में किया गया था।

मामले के तथ्यों को संक्षेप में दोहराया जा सकता हैः

मुकदमा संख्या 23/1972 एक रघु नाथ प्रसाद द्वारा विशिष्ट के लिए दायर किया गया था। विचाराधीन घर को बेचने के लिए एक समझौते का प्रदर्शन। शमशेर बहादुर उक्त मुकदमे में प्रतिवादी था। अदालत द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया था,

लेकिन अपील पर, 7 अप्रैल, 1975 के अपने फैसले द्वारा अपीलीय अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दिया। वादी, डिक्री धारक, रघु नाथ प्रसाद का 1 सितंबर, 1979 को निधन हो गया। इसके बाद, 20 नवंबर, 1980 के आदेश द्वारा के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ-साथ समनुदेशिका, अपीलार्थी को भी अभिलेख में लाया गया, क्योंकि उसने दावा किया था कि स्वर्गीय रघु नाथ प्रसाद ने डिक्री में अपना हित उसके पक्ष में सौंपा था। विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद का आदेश देने वाले अपीलीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दूसरी अपील की गई थी और उक्त दूसरी अपील को निर्णय और दिनांक 5.7.1982 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। इस प्रकार विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को दरकिनार कर दिया गया और मुकदमे को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को बहाल कर दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के बाद, रघु नाथ प्रसाद के कानूनी प्रतिनिधियों, जिन्हें रिकॉर्ड में लाया गया था, ने मामले में कोई और रुचि नहीं ली और वादी रघु नाथ प्रसाद द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को भी चुनौती नहीं दी। केवल समनुदेशिती, अर्थात् अपीलार्थी, इस न्यायालय में अपील के माध्यम से आया।

10 फरवरी, 1989 के निर्णय और आदेश द्वारा इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे को खारिज करने में गलती की थी। अपील को स्वीकार कर लिया गया।

उस स्तर पर इस न्यायालय के समक्ष एक तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी, जो डिक्री धारक से हस्तांतरणकर्ता था, को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस न्यायालय ने देखा कि जब अपीलार्थी (समनुदेशिती) ने प्रत्यर्थी के रूप में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था, तो उच्च न्यायालय ने इस आशय का आदेश पारित किया था कि आवेदक को अपील में एक प्रत्यर्थी के रूप में रिकॉर्ड में लाया जाए, लेकिन यह अपीलार्थी (उच्च न्यायालय के समक्ष) के लिए खुली छूट होगी कि वह ऐसी आपत्तियां उठाए जो वे चाहते हैं कि आवेदक के विवाद के बारे में वह स्थान हो जिसका निर्णय अंतिम सुनवाई के समय अपील में किया जाना था। इस न्यायालय ने देखा कि समनुदेशिती के अधिकार क्षेत्र के रूप में आपत्तियां उठाने की

स्वतंत्रता दिए जाने के बावजूद, ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> "उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी ने उस संबंध में कोई सवाल नहीं उठाया और इस मामले को देखते हुए पहली बार यहां उठाए गए तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है।
>
> उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और निचले अपीलीय न्यायालय के को बहाल कर दिया जाता है। अपीलकर्ता इसका हकदार होगा इस अपील की लागत जिसे हम रु. 2000/- आंकते हैं।"

उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई किसी भी आपत्ति के अभाव में, इस न्यायालय ने एक समनुदेशक के रूप में अपीलार्थी के स्थान को चुनौती देने वाली उक्त अपील में पहली बार उठाई गई प्रतिवादी की याचिका पर विचार नहीं किया।

इस न्यायालय के निर्णय और आदेश के बाद डिक्री को निष्पादन में रखा गया था और उत्तरदाताओं द्वारा आदेश 21 नियम 16 सी.पी.सी. के तहत एक आपत्ति दायर की गई थी। उक्त आपत्ति को निष्पादन न्यायालय के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। निष्पादन न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 21 नियम 16 सी.पी.सी. केवल तभी लागू होता है जब अंतिम डिक्री पारित होने के बाद डिक्री धारक कोई कार्य करता है। हालाँकि, यदि मामले के लंबित रहने के दौरान डिक्री का एक समनुदेशक है, और पक्षों के अधिकारों और देनदारियों का निर्णय लिया गया है, तो उसके बाद आदेश 21 नियम 16 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। इन सिद्धांतों को लागू करते हुए निष्पादन न्यायालय ने निर्णय दिया कि सी.पी.सी. की धारा 146 के तहत सरस्वती देवी डिक्री को निष्पादित करने की पूरी तरह से हकदार थीं। इसने इस न्यायालय के फैसले को देखा और निष्कर्ष निकाला कि आवेदक के लिए शीर्षक को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं छोड़ा गया था। इसने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के बाद रघु नाथ

प्रसाद के कानूनी प्रतिनिधियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और यह केवल नियुक्त व्यक्ति था जिसने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए उसके समक्ष इस तर्क को खारिज कर दिया कि सरस्वती देवी को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

पुनरीक्षण न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के आदेश की पुष्टि की, जहां मामले को 1996 की सिविल विविध रिट याचिका No.8532 के रूप में एक रिट याचिका द्वारा उच्च न्यायालय में ले जाया गया था। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यह अभी तक तय नहीं किया गया है कि क्या रघु नाथ प्रसाद द्वारा दायर मुकदमे में डिक्री का लाभ उनके कानूनी प्रतिनिधियों को मिलेगा या कथित समनुदेशिती को, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कोई वास्तविक था सरस्वती देवी (यहाँ अपीलार्थी) के पक्ष में रघु नाथ प्रसाद द्वारा कार्य तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या रघुनाथ प्रसाद द्वारा सरस्वती देवी (इसमें

अपीलकर्ता) के पक्ष में कोई वास्तविक और वैध कार्य था, और विशिष्ट निष्पादन के आदेश का लाभ किसे मिलेगा।

हमारे विचार में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश के बाद भी, जिसमें अपीलार्थी, अर्थात् समनुदेशिती द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई थी, यह अभी भी निष्पादन न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर विचार करने के लिए खुला था कि क्या इसमें अपीलार्थी के पक्ष में कोई वैध समनुदेशन था। हमारे विचार में, इस न्यायालय ने अपील में अपने 10 फरवरी, 1989 के निर्णय और आदेश द्वारा समनुदेशिती द्वारा पसंद की गई अपील ने उसके द्वारा पसंद की गई अपील की अनुमति दी। इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई का प्रश्न उठाया गया था, लेकिन उस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा पहली बार विचार नहीं किया गया था, क्योंकि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि इस तरह की आपत्ति को पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष आरक्षित स्वतंत्रता के अनुसार उठाया जाना चाहिए था, जबकि अपील में प्रत्यर्थी को एक पक्ष के रूप में जोड़ा गया था। चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष डिक्री के समनुदेशक के रूप में अपीलार्थी

के अधिकार को चुनौती देने वाली कोई भी आपत्ति नहीं उठाई गई थी, इसलिए इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सका। यदि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, वह प्रश्न पहली बार इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सका क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी आपत्ति नहीं उठाई गई थी, तो तार्किक रूप से यह मानना चाहिए कि ऐसी आपत्ति निष्पादन न्यायालय में भी नहीं उठाई जा सकती है। इस न्यायालय के फैसले का प्रभाव यह था कि अपीलार्थी के पक्ष में सौंपे गए कार्य को बरकरार रखा गया था और उसके बाद इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वास्तव में यह न्यायालय डिक्री के समनुदेशक के रूप में उनके द्वारा दायर अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ा। उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को उस प्रश्न की जांच करने का निर्देश देते हुए अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि की, यघपि यह इस न्यायालय के निर्णय में दर्ज निष्कर्ष पर ध्यान देने में विफल रहा, विशेष रूप से निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में दर्ज निष्कर्ष, जिसने निर्णायक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में सनुवाई के प्रश्न का निर्णय किया। समनुदेशिती के रूप में अपीलार्थी के अधिकार को बरकरार रखने वाले इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, समनुदेशिती के रूप में उसके अधिकार को

किसी भी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश देने में गलती की थी कि वही प्रश्न, जिसे अंततः इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और 10.2.1989 की डिक्री द्वारा निर्धारित किया गया था, निष्पादन न्यायालय द्वारा एक बार फिर से देखा जाएगा। यह निष्पादन न्यायालय को उस डिक्री के पीछे जाने का निर्देश देने के बराबर था जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली थी। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है।

नतीजतन हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं और डिक्री के समनुदेशक के रूप में अपीलार्थी के स्थान को चुनौती देने वाले निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज करते हैं। 30 अगस्त, 1996 के उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया गया है जिसमें निष्पादन न्यायालय को उस प्रश्न पर विचार करने का निर्देश दिया गया था और आदेश दिनांकित 8.8.1994 को निष्पादन न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था और 10.12.1996 को पुर्नस्थापित किया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

वी. एस.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।